राजस्थान में जनजातियाँ : ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

प्रमीला यादव

सारांश : भारतवर्ष के आदि निवासियों को जिन छः नस्लों की संतान बताया है, ऋग्वेदिक काल में उन्हें दो नामों से संबोधित किया गया– एक आर्य दूसरा अनार्य। इनमें से अनार्य भारतवर्ष के अधिक प्राचीन निवासी हं। एक मत के अनुसार आर्यो के भारत आगमन से पूर्व अनार्य ही इस देश के सर्वाधिकारी थे। आर्यो ने अनार्यो को पराजित किया। प्राचीन साहित्य में उन्हें अनेक शब्दो से अभिहित किया गया है जैसे अनासा (चपटी नाम वाले), शिश्नदेवाः (लिंग व योनि की पूजा करने वाले), अयज्वन् (यज्ञ न करने वाले), अकर्मन (वैदिक क्रियाओं को न करने वाले), अन्यव्रत (वैदिकोत्तर व्रतों का अनुकरण करने वाले), अब्रह्मन (ब्रह्म व धार्मिक विश्वास से रहित), अव्रत (व्रतो से रहित), मधुवाक (जिनकी भाषा समझ में न आये), आवसायी (सदा घूमने वाले), दस्यु (दास), शुद्र आदि। आधुनिक भाषा में उन्हें जनजाति कहते है। संसार के सभी देशों की अपेक्षा भारतवर्ष में जनजातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है। नृतत्वशास्त्र के विद्वानों ने इन्हें अनेक नामों से संबोधित किया है। सर हर्बर्ट रिसले, लेके, टेलेंट्स, सेजविक, मार्टिन, ए.बी. थक्कर आदि ने इन्हें आदिवासी (एबारिजिन्स) कहा है तो जे.एच. हट्टन ने इन्हें आदिम जातियों के नाम से संबोधित किया है।

प्रमुख समाजशास्त्री डॉ. जी.एस. घुरये ने उन्हें तथाकथित आदिवासी कहा है और उनके लिए अनुसूचित जनजातियाँ (शिड्यूल ट्राइब्स) नाम प्रस्तावितकिया है और इनके ही प्रस्ताव अनुसार इन्हें भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों के नाम से स्थान दिया गया है।

मुख्य शब्दः– आर्य, अनार्य, अनासा, अन्यव्रत, अब्रह्मण, वनवासी, आचार–विचार, जीवन–मूल्य, दस्यु, आदिम, सभ्यता।

जनजाति को उत्पत्ति व अर्थ :'जनजाति' शब्द की उत्पत्ति तथा अर्थ के विषय में भिन्न–भिन्न विचारधाराएं है। सन् 1981 ई. की जनसंख्या रिपोर्ट में जसंख्या आयुक्त श्री डॉ. एन. बेन्स ने जातियों को उनके परम्परागत व्यवसाय के आधार पर वर्गीकृत किया। कृषक एवं चरवाहा जातियों की श्रेणी के अन्तर्गत उन्होंने 'वन्यजातियों' के नाम से एक पृथक उप शीर्षक बनाया। सन् 1901 की जनसंख्या रिपोर्ट में उन्हें 'प्रकृतिवादी' कहा गया। सन् 1911 ई. में उन्हें 'जनजाति प्रकृतिवादी अथवा जनजातीय धर्म' को मानने वाले लोग कहा गया। सन् 1921 ई. की जनसंख्या रिपोर्ट में उन्हें 'पहाड़ी एवं वन्य जनजातियों' का नाम दिया गया। सन् 1931 ई. की जनसंख्या रिपोर्ट में उन्हें 'आदिम जनजाति' कहा गया।

इसी प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात् नवीन संविधान के निर्माण से आदिवासियों या जनजातियों को संविधान के अनुच्छेद 341 व 342 के उपबन्धों के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गये पन्द्रह (15) आदेशों द्वारा अनुसूचितजनजातियों का पृथक–पृथक उल्लेख किया गया हैं राष्ट्रपति द्वारा इन उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत एक सूची जारी की गई है, जिसमें समय–समय पर संसोधन भी किया जाता रहा है। वर्तमान में संविधान के अनुच्छेद 342 के आधार पर अनुसूचित जनजाति को वन्य जाति, वनवासी, पहाड़ी लोग, आदिम जाति, आदिवासी आदि नामों से जाना जाता है।

कुछ विशिष्ट स्थानों में पाये जाने वाले ऐसे लोगों का समूह या वर्ग जो साधारणतः एक ही पूर्वज के वंशज होते है और जो सभ्यता, संस्कृति आदि के विचार से आप–पास के निवासियों से बिल्कुल भिन्न और कुछ निम्न स्तर पर होते है।

जनजातियाँ प्रायः शहरी सभ्यता से बहुत दूर घने जंगलों, पर्वतों, घाटियों एवं पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती आयी है। इन लोगों का जीवन प्रकृति के साथ संघर्ष मय था। सामान्यतः लोग उन्हें आदिवासी समझते है जो 'पिछड़े वर्ग' और 'असभ्य मानव समूह' के रूप में एक सामान्य क्षेत्र में निवास करते हुए सामान्य संस्कृति का अनुसरण करते है।

विकासवाद के सिद्धान्त को ध्यान में रखा जाए तो किसी भी जाति के अर्थ को निश्चित शब्दों में सीमित करना संभव नहीं है। इसी प्रकार जनजाति के अर्थ को भी निश्चित शब्दो में व्यक्त करना सरल नहीं है। जनजाति किसे कहते है इस प्रश्न का उत्तर समाजशास्त्रियों ने अलग–अलग प्रकार से दिया गया है–

Lucky Mair - A tribe means "an independent political division of a population in with a comman culture".

Oxford Dictionary - A tribe is a group of United people in a private or barbarous stage of development acknowledging the authority of a chief and usally regarding themselves as having a common ancestor.

गिलिन और गिलिन– गिलिन और गिलिन के अनुसार जनजाति का अभिप्राय "स्थानीय जनजाति समूहों का ऐसा समुदाय जनजाति कहा जाता है जो एक सामान्य क्षेत्र में निवास करता है, एक सामान्य भाषा का प्रयोग करता है और उनकी एक सामान्य संस्कृति होती है।"

डॉ. डी.एन. मजूमदार – डॉ. मजूमदार ने अपनी पुस्तक 'रेसेज एण्ड कल्चर्स ऑफ इण्डिया' में जनजाति की परिभाषा इस प्रकार दी है, कोई भी जनजाति परिवारों तथा पारिवारिक वर्गों का एक ऐसा समूह है जिनका सामान्य नाम है, जिनके सदस्य एक निश्चित भू–भाग पर रहते है तथा विवाह व्यवस्था के विषय में कुछ निषेधाज्ञाओं का पालन करते है। साधारणतया जनजाति अंतर्विवाह के सिद्धान्त का समर्थन करती है और उनके सभी सदस्य अपनी ही जनजाति के अन्तर्गत विवाह करते है।

जगदीश मीणा ने जनजाति की परिभाषा के विषय में लिखा है कि जनजातियों का वर्गीकरण उन प्राचीनतम आदिम जातियों में से किया गया है जो मूलतः एक निश्चित क्षेत्र में निवास करते है, न की जीवन शैली स्वतंत्र प्रकृति की है। प्रत्येक क्षेत्र में उनकी भाषा एवं सामाजिक जीवन में कुछ विभिन्नताए देखने को अवश्य मिलती है लेकिन उनका सांस्कृतिक जीवन व परम्पराएँ कहीं–न–कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है, वे प्रायः संयुक्त परिवारों के रूप में अपना जीवनयापन करते है।

जनजातियों की प्रमुख विशेषताएँ

जनजातियों में अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विशेषताएँ पायी जाती है। **देसाई** ने इनकी प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार बताई हैं–

1. वे प्रायः सभ्य जगत् से दूर दुर्गम स्थानों में निवास करते है।
2. उनकी अपनी एक जनजातीय भाषा होती है।
3. उनका निग्रोटो, आस्ट्रेलायड़ अथवा मंगोलायड़ में से किसी एक प्रजाति समूहों से संबंध होता है।
4. उनके समूहों का अपना नाम, पारस्परिक व्यवहार के नियम और निषेध होते है।
5. उनका आदिम धर्म होता है जो सार्वजीववाद के सिद्धान्तों का प्रतिपादन करता है जिसमें भूतों तथा आत्माओं की पूजा का महत्त्वपूर्ण स्थान है।
6. उनकी अपनी सामान्य संस्कृति एवं सुरक्षात्मक संगठन होते है। उनकी मदिरा एवं नृत्य के प्रति विशेष अभिरूचि होती है।
7. उनका एक स्वतंत्र संगठन होता है। वे जनजातीय व्यवसाय को अपनाते है जैसे उपयोगी प्राकृतिक वस्तुओं का संग्रहण, शिकार, वन से उत्पन्न वस्तुओं का संग्रहण करना आदि सम्मिलित है।

राजस्थान की जनजातियों का परिचय :

जनजातियों के लोग एक क्षेत्र विशेष में रहकर, समान भाषा एवं एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करते है। भारत में इन जनजातियों की संख्या 5 करोड़ से अधिक है जिनमें राजस्थान में 1971 में ये लोग बहुत अधिक संख्या में रहते थे। जहाँ 1971 में यह संख्या 31.26 लाख भी वही 1991 में बढ़कर 54.75 लाख हो गयी। वही 1911 की जणगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 92.39 लाख है जो कुल जनसंख्या का 13. 48 प्रतिशत भाग है। राजस्थान जनजातियों का मूल निवास है, प्राचीन काल से ही राजस्थान विभिन्न जनजातियों की आश्रयस्थली रही है। 1971 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 13 जनजाति है जिनमें से 6 तो नगण्य मात्र है बाकी 7 जनजातियों में भील व मीणा सर्वाधिक महत्वपूर्ण जनजाति है क्योंकि राज्य की कुल जनसंख्या में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। मीणा जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से राज्य में प्रथम स्थान पर है जो कुल जनजातीय जनसंख्या का 49 प्रतिशत व भील 44.9 प्रतिशत है।

राजस्थान की जनजातियों का लगभग 96 प्रतिशत भाग ग्रामीण तथा शेष 4 प्रतिशत भाग शहरी क्षेत्रों में निवास करता है। भौतिक सुख–सुविधाओं से अपरिचित, वैज्ञानिक विकास से दूर, वर्तमान फैशनकाल की चकाचौंध से अनभिज्ञ और सामाजिक संपर्क की अल्पता से उपजे शांत व एकांकी परिवेश में जीवनयापन करने वाली राजस्थान की जनजातियां आज भी परंपरागत सामाजिक मूल्यों व संस्कारों पर टिकी हुई हैं। इन जनजातियों के अद्‌भुत रीति–रिवाज, रहन–सहन, आचार–विचार और परंपरागत जीवन मूल्य, सामाजिक विकास के प्रारंभिक स्रोतों का वर्तमान उदाहरण हैं। राजस्थान की मुख्य जनजातियों में मीणा, भील, गरासिया, सहरिया, कंजर, डामोर, सांसी और कथौड़ी इत्यादि जनजातियाँ हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार किया जा रहा है–

भील जनजाति :

भील अपने आपको महादेव का वंशज मानते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने इनको वनपुत्र कहा हैं। यह राजस्थान की सबसे प्राचीन व सबसे बड़ी जनजाति हैं। भील शब्द 'बील' से बना है जिसका अर्थ तीर–कमान रखने वाली जनजाति से है। सदैव संघर्षरत रहने के कारण भील अच्छे योद्धा भी होते हैं। महाराणा प्रताप की सेना में 'भीलू राणा' एवं अन्य कई वीर योद्धा थे जिन्होंने उनकी युद्ध में बहुत सहायता की थी। मेवाड़ राज्य के राजचिन्ह पर भीलू राणा और प्रताप की मित्रता का प्रतीक आज भी अंकित है। अंग्रेजी शासन के दौरान 'मेवाड़ भील कोर' का गठन किया गया था जो आज भी विद्यमान है। मेयो कॉलेज के राजचिन्ह पर भील योद्धा का चिन्ह अंकित है।

राजस्थान की आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से भील जनजाति का द्वितीय स्थान है। भील जनजाति मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान के बाँसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर व राजसमंद जिलों में निवास करती हैं। इनकी सर्वाधिक संख्या उदयपुर जिले में हैं। ये मेवाड़ी, भीली तथा वागड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं।

भील शब्द की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों के परस्पर विरोधी मत है इस शब्द की उत्पत्ति के सम्बन्ध में उदयपुर राज्य के गजेटियर में उल्लेख किया गया है कि 'भील' नाम द्रविड़ो के शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ धनुष है जो भील जनजाति की पहचान बताने वाला हथियार है। जबकि कुछ विद्वान इस शब्द की उत्पत्ति संस्कृति की क्रिया से मानते हैं जो निशाना लगाने से सम्बन्धित है व कुशल धनुष संचालक का पर्यायवाची है।'' द्रविड भाषा के शब्द पिल्लू अथवा बिल्लू का अर्थ धनुष होता है। अनेक प्राचीन तमिल कवियों ने उत्तर भारत में रहने वाले आदिवासियों को 'विल्लूवार' शब्द से सम्बोधित किया है जिसका अर्थ धनुषधारी आदिवासी समुदाय से है। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि तमिल भाषा अथवा द्रविड भाषा में धनुष रखने वाले समुदाय को भील माना गया है। भील नायक गमेती, ताखी, मुखिया, नेता अथवा अपने गोत्रों के नाम से अपनी पहचान बताते है। यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि भील राजस्थान के सबसे प्राचीन निवासी है।

भीलों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में अनेक पौराणिक दंतकथाएँ प्रचलित है जो किसी सही नतीजे पर नहीं पहुँचाती है। आदिवासियों की अपनी कोई लिखित परम्परा नहीं है इसलिए उनके सम्बन्ध में ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त करने के लिए गैर आदिवासी स्त्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। गैर आदिवासी समुदायों के

विवरण पूर्वाग्रहों से युक्त दिखाई देते है। उन्हें यथावत स्वीकार करना एक भूल होगी। भारत में भीलों के सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा गया। किन्तु यह लेखन सैनिक अधिकारियों व प्रशासकों द्वारा किए गए। इन वृतांत को लिखने वालों ने जैसा अनुभव किया वैसा ही वर्णन किया। अनेक स्थान पर भीलों की सच्चाई एवं सीधेपन की प्रशंसा भी मिलती है तो अनेक स्थानों पर उन्हें डाकु, लुटेरा तक कहा गया है।

भील राजस्थान की ही नहीं अपितु सम्पूर्ण भारत की एक महत्त्वपूर्ण जनजाति है। भीलों को दक्षिणी तथा दक्षिण–पश्चिमी राजस्थान का मूल निवासी माना गया है।

मीणा जनजाति :

मीणा भारत की प्राचीनतम जनजातियों में से है। राजस्थान में आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से मीणा जाति का प्रथम स्थान है व यह सर्वाधिक शिक्षित जनजाति है। यह राजस्थान के सभी क्षेत्रों में पायी जाती है लेकिन मुख्यतयाः जयपुर, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, उदयपुर जिलो में निवास करती है। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार अजमेर से लेकर आगरा तक वाली 'कालीखोह पर्वतमाल' को मीणा जाति का मूल निवास मानते है।

मीणा जाति अपनी उत्पत्ति भगवान विष्णु के दसवें अवतार अर्थात् 'मत्स्यवतार' से मानती है। मीणा शब्द की उत्पत्ति 'मीन' शब्द से हुई है जिसका अर्थ 'मछली' होता है। मीणा बहुल क्षेत्र होने के कारण ही अलवर, भरतपुर आदि क्षेत्र को 'मत्स्य देश' कहा जाता था। मीणा जनजाति के गुरु आचार्य मगनसागर मुनि थे। आचार्य मगन मुनि सागर ने ही मीणा जाति के 'मीन पुराण' की रचना की है व मीणा जाति को भगवान मीन का वंशज बताया है। वेदों में इनके लिए मेनिः शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ व्रज या व्रजकाय है। कुछ लोगो का मानना यह भी है कि इसी अर्थ में इस जनजाति का नामकरण हुआ अर्थात मीना वे है जो व्रज के समान शरीर वाले है।

मीणा जाति प्रमुख रूप से दो वर्णों में बंटी हुई है जमींदार या पुरानावासी मीणा : जमींदार या पुरानावासी मीणा वे है जो प्रायः खेती एवं पशुपालन का कार्य वर्षो से करते आ रहे है। चौकीदारी या नयावासी मीणा : ये वे मीणा है जो स्वछंद प्रकृति के कारण चौकीदारी का कार्य करते थे। इनके पास जमीने नहीं थी, इस कारण जहाँ इच्छा हुई वही बस गए। इसलिए इन्हें नयावासी भी कहा जाता हैं।

गरासिया जनजाति :

गरासिया जनजाति राज्य की कुल जनसंख्या को 6.7 प्रतिशत है जो आदिवासी जनसंख्या का लगभग 2.5 प्रतिशत है। यह जनजाति मुख्य रूप से उदयपुर जिले के खेरवाड़ा, कोटड़ा, झाड़ोल, फलासिया, गोगुन्दा क्षेत्र एवं सिरोही जिले के पिण्डवाड़ा व आबू रोड़ तथा पाली जिले के बाली क्षेत्र में बसी है। सर्वाधिक गरासिया सिरोही, उदयपुर एवं पाली जिले में है।

गरासिया शब्द का उच्चारण कई तरह से किया जाता है जैसे– ग्रामिया, गिरासिया, गिरेसिया, ग्रासिया। गरासिया शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के 'ग्रास' शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है 'कौर, निवाला या निर्वाह करने साधन'।

कर्नल जेम्स टॉड ने गरासियों की उत्पत्ति 'गवास' शब्द से मानी है जिसका अभिप्राय 'सर्वेन्ट' होता है। लोक कथाओं के अनुसार गरासिया जनजाति के लोग यह मानते है कि ये पूर्व में अयोध्या के निवासी थे और भगवान रामचन्द्र के वंशज थे। ये लोग यह भी मानते है कि उनकी गोत्रे बप्पा रावल की सन्तानों से उत्पन्न हुई है। इनमें सोलंकी (सोलंकी), सोहान (चौहान), वादिया, राईदरा व हीरावत आदि गोत्र होते है।

सहरिया जनजाति :

सहरिया जनजाति राजस्थान में बारां जिले की शाहबाद व किशनगंज तहसीलों में बसे हुए हैं। यह राजस्थान की आदिम जाति कहलाती है, क्योंकि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के अनुसार ये आदिवासी दूसरी जनजातियों भील मीणा, डामोर, गरासिया से भी पिछड़े हैं। 'सहरिया' अरबी शब्द से व्युत्पन्न है

जिसका अर्थ है– जंगल। कुछ विद्वानों का मानना है कि सहरिया राजस्थान के रेगिस्तान भूमि के मूल निवासी हैं और 'सहरिया' शब्द फारसी शब्द 'सेहरा' से लिया गया है जिसका अर्थ है– रेगिस्तान। सहरिया लोगों के अनुसार, 'शब्द सरिया से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है– घुमन्तु जाति, यायावरी।' एक ओर संस्करण सहरिया नाम से 'सहारा (रेगिस्तान) क्षेत्र' शब्द से सम्बन्धित है जो चंबल और यमुना के बीच का माना गया है। पूर्व में कभी इस क्षेत्र में सेहरल जनजाति द्वारा निवास किया गया था और मुस्लिम आक्रमण के दबाव में वे लोग जंगली क्षेत्रों की ओर चले गये थे। पश्चिम हिस्सा बाद में 'सेहेरा' को सहरिया के रूप में जाना जाने लगा। विभिन्न स्थानों पर सहरिया जाति को खट्टा, सोनर, सहरिया, सोरिया, सोर इत्यादि नामों से जाना जाता है।

सहरिया जनजाति बहुल्य क्षेत्र को हाड़ौती कहते हैं। ये लोग हाड़ौती बोली ही बोलते व समझते हैं।यह राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे 'आदिम–जनजाति' का दर्जा प्राप्त हैं। सरकार ने इनकी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए मनरेगा में 100 दिन का अतिरिक्त राजेगार प्रदान करती है। राजस्थान में यह जनजाति इतनी अल्पसंख्यक है कि 1881 में 1941 तक की राजपूताना जनगणना रिपोर्टों में इसका उल्लेख ही नहीं मिलता। केवल कोटा राज्य की 1911 एवं 1921 की जनगणना रिपोर्टों में इनके सम्बन्ध में मामूली उल्लेख मिलता है। इस दौरान इन्हे शहरों के नाम से सम्बोधित किया जाता था। 1911 में इनकी जनसंख्या 13795 थी जो कोटा राज्य की कुल जनसंख्या का 2.1 प्रतिशत था। 1921 में इनकी जनसंख्या 14092 हो गयी जो कुल जनसंख्या का 2.2 प्रतिशत थी।

कंजर जनजाति :

कंजर शब्द की उत्पति 'काननचार' से हुई हैं। जिसका अर्थ है जंगल में विचरण करने वाला। यह घुमक्कड़ जनजाति हैं जो सर्वाधिक बातूनी हैं।यह जनजाति मुख्यतः हाड़ौती क्षैत्र (कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़), भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर, अलवर जिले में रहती है। यह जनजाति चौरी, डकेती, लूटमार में विश्वास करती हैं। ये अपराध करने से पहले देवता से आशीर्वाद माँगते हैं जिसे पाती माँगना कहते हैं। हाकमराजा का प्याला पीने के बाद कंजर झूठ नहीं बोलते हैं। राज्य की यह घूमन्तु जाति अपराध वृत्ति के लिए प्रसिद्ध है।

कथौड़ी जनजाति :

राजस्थान की कुल कथौड़ी आबादी का 52 प्रतिशत कथौड़ी जनजाति उदयपुर की कोटडा, झाडोल व सराड़ा पंचायत समिति में बसे है शेष मुख्यतः डूंगरपुर, बारां व झालावाड़ में बसे है।

ये महाराष्ट्र के मूल निवासी हैं। खैर के पेड़ से कत्था बनाने में दक्ष होने के कारण वर्षों पूर्व उदयपुर के कत्था व्यवसायियों ने इन्हें यहाँ लाकर बसाया। कत्था तैयार करने में दक्ष होने के कारण ये कथौड़ी कहलाये। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कथौड़ी जनजाति की कुल आबादी मात्र 4833 है। वर्तमान में यह संकटग्रस्त जनजाति है इस हेतु राजस्थान सरकार ने मनरेगा में विशेष लाभ देते हुए इन्हें 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार प्रदान करती है।

वर्तमान में वृक्षों की अंधाधुंध कटाई व पर्यावरण की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा इस कार्य को प्रतिबंधित घोषित कर दिए जाने के बाद कथौड़ी जनजाति की आर्थिक स्थिति बड़ी शोचनीय एवं बदतर हो गयी है। आज यह जनजाति समुदाय जंगल में लघु वन उपज जैसे बांस, महुआ, शहद, सफेद मूसली, डोलमा, गोद, कोयला एकत्र कर और चोरी की हुई लकड़ियाँ काटकर बेचने तक सीमित हो गया है।

राज्य की अन्य सभी जनजातियों की तुलना में इस जनजाति के लोगों का शैक्षिक एवं आर्थिक जीवन स्तर अत्यधिक निम्न है।

डामोर जनजाति :

यह जनजाति डूंगरपुर जिले की सीमलवाड़ा पंचायत समिति के दक्षिण–पश्चिमी केन्द्र केन्द्रित है। यह क्षेत्र डामरियां क्षेत्र कहलाता हैं। सर्वाधिक डामोर डूंगरपुर जिले में है जो कुल डामोरो का 61.61 प्रतिशत है। कुछ डामोर बांसवाड़ा, उदयपुर, चूरू, गंगानगर व हुनमानगढ़ जिलों में निवास करते है।

डामोर मूल रूप से गुजरात के प्रवासी होने के कारण स्थानीय भाषा के साथ–साथ गुजराती भाषा का भी प्रयोग करते है। उनकी भाषा, रहन–सहन में गुजरात का काफी प्रभाव देखने को मिलता है। इनके संस्कार, रिति रिवाज व सामाजिक व्यवस्था मीणा व भील जनजाति से काफी मिलते झुलते है।डामोर जनजाति के परमार गोत्र के लोगों का मानना है कि उनकी उत्पत्ति राजपूत वंश से हुई है जबकि सिसोदिया गोत्र के डामोर अपने को चितौड़ राज्य के सिसोदिया वंश से मानते है।

राठौड़, चौहान, सोलंकी, मालीवाड़ तथा बाटिया आदि गोत्र के डामोर स्वयं की उच्च वर्ग का मानते हैं गुजरात के चौहान एवं परमार वंश का सरदार पारिवारिक कलह से तंग आकर राजस्थान में बस गया और धीरे–धीरे उन्होंने स्थानीय डामोर से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर लिये। ये की कालान्तर में निम्न वर्ग के डामोर कहलाये। डामोर एकमात्र जनजाति है जो वनो पर आश्रित न होकर पशुपालन व खेती पर आश्रित है।

सांसी जनजाति :

सांसी एक खानाबदोश आपराधिक जनजाति है, जो मूलतः भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र राजपूताना में केन्द्रित रही है, लेकिन 13वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकारियो द्वारा खदेड़ दी गयी। अब यह जनजाति मुख्यतः राजस्थान में संकेन्द्रित है और शेष भारत में बिखरी हुई भी है।

यह जनजाति अधिकाशतः राजस्थान के भरतपुर, अलवर जिले में निवास करती है। सांसी लोग राजपूतों से अपनी वंशोत्पत्ति का दावा करते है लेकिन लोककथा के अनुसार इनके पूर्वज बेडिया थे, जो एक अन्य आपराधिक जाति है। एक अन्य मत के अनुसार सांसी जाति की उत्पत्ति 'सांसमल' नामक व्यक्ति से मानी जाती है। जीवनयापन के लिए पशुओं की चोरी तथा अन्य छोटे–छोटे अपराधों पर निर्भर रहने वाले सांसी जाति का उल्लेख अपराधी जनजाति कानूनो 1871, 1911 और 1924 मे किया गया है, जिसमें उनके खानाबदोश जीवन को गैर कानूनी कहा गया। इस जनजाति में कुछ लोग कृषक और श्रमिक हैं, यद्यपि अधिकांश लोग अभी भी घूमंतु जीवन जीते हैं।

उपर्युक्त जनजातियों के विवरण से स्पष्ट होता है कि राजस्थान में विभिन्न जनजातियां निवास करती है इनमें भील, मीणा, गरासिया, सहरिया, डामोर, कथौड़ी, सांसी प्रमुख है जिनका वर्णन इस अध्याय में किया जा चुका है। इन आदिवासी समूहों ने राजस्थान के इतिहास में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची –

1. विद्यालंकार, सत्यकेतु, 'प्राचीन भारत', सरस्वती सदन, मसूरी, 1678
2. श्रीवास्तव, के.सी., 'प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति', युनाइटेड बुक डिपो, 2015
3. घुरये, जी.एस., 'द शिड्यूल ट्राईब्स'
4. कश्यप, सुभाष, 'हमारा संविधान', नेशलन बुक ट्रस्ट इंडिया, नई दिल्ली, 1996
5. गिलिन और गिलिन, 'कल्चर एन्थ्रोपॉलोजी'
6. मजूमदार, डॉ. डी.एन, 'रेसेज एण्ड कल्चर्स ऑफ इण्डिया', एशिया पब्लिशिंग हाऊस, बम्बई, 1965
7. मीणा, जगदीश चन्द्र, 'भील जजाति का सांस्कृतिक एवं सामाजिक जीवन', हिमांशु पब्लिकेशन, उदयपुर, 2003
8. गुप्ता, के. एस., '19वीं सदी के राजस्थान का राजनैतिक एवं सामाजिक अध्ययन', जोधपुर, 1986
9. मीणा, शकुंतला, 'मीणा जाति का उत्कर्ष', अजय प्रकाशन, जयपुर, 2006
10. शर्मा, गोपीनाथ,'राजस्थान का इतिहास', राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, 1980
11. कविराज श्यामलदास, 'वीर विनोद', उदयपुर, 1886, पुर्नमुद्रित दिल्ली 1986, जिल्द–2, भाग–3

12. टॉड, कर्नल जेम्स, 'एनाल्स एण्ड एन्ओक्वीटीज ऑफ राजस्थान', वाल्युम 2, आदर्श हिन्दी पुस्ताकलय, इलाहाबाद, 1965
13. जोशी, करूणा, 'जनजातीय क्षेत्र में स्वतंत्रता आन्दोलन', राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर, 2006
14. 'सेन्सस ऑफ इण्डिया', 1921, वाल्युम 33, पार्ट 1
15. शर्मा, ओ.पी., आलेख 'राजस्थान की जनजातीय संस्कृति और परंपराएं', कुरूक्षेत्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, दिसम्बर, 2008
16. सैनी, डॉ. एस.के., 'राजस्थान के आदिवासी', यूनिक ट्रेडर्स, जयपुर, 2016
17. रामचंदानी, इन्दु, 'भारत ज्ञानकोष', खण्ड 6, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।